



सेवा में,

सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क/केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर सीमा शुल्क/ केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर विभाग के सभी प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक सीमा शुल्क/ केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर विभाग के सभी प्रधान अतिरिक्त महानिदेशक/अतिरिक्त महानिदेशक सभी प्रधान आयुक्त/सीमा शुल्क आयुक्त/सीमा शुल्क (निवारक)/ केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर

महोदया/महोदय,

विषय : दिनांक **11.02.2026 से 13.02.2026 तक** नासिन जोनल कैम्पस लखनऊ द्वारा केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षकों के पुष्टिकरण के लिए विभागीय परीक्षा आयोजित करने के संबंध में ।

मंत्रालय के पत्र फाइल सं.ए-34011/1/2003 एडी-III.ए, दिनांक 13.08.03 के निर्देशानुसार, नासिन, विभाग के विभिन्न ग्रेडों के अधिकारियों के लिए परीक्षा आयोजित कर रहा है। इसी सन्दर्भ में, जून, 2006 से केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षकों के पुष्टिकरण के लिए विभागीय परीक्षा आयोजित करने का कार्य नासिन, जोनल कैम्पस, लखनऊ को सौंपा गया है। इस परीक्षा में लिखित परीक्षा के कुल छ: प्रश्न पत्र सम्मिलित हैं। **11.02.2026 से 13.02.2026 तक** आयोजित की जाने वाली विभागीय परीक्षा की अनुसूची और पाठ्यक्रम इस पत्र के साथ अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न हैं।

2. नासिन, जोनल कैम्पस, लखनऊ के साथ संपर्क व पत्राचार के लिए, प्रत्येक आयुक्तालय/निदेशालय को एक नोडल अधिकारी नामित करना आवश्यक है। अतः, अनुरोध है कि इस उद्देश्य के लिए अपर/संयुक्त आयुक्त रैंक के एक नोडल अधिकारी को नामित किया जाये। यदि आयुक्तालय/निदेशालय में कोई अपर/संयुक्त आयुक्त रैंक का अधिकारी उपलब्ध नहीं है, तो ही केवल ये आयुक्तालय/निदेशालय उपरोक्त उद्देश्य के लिए उप/सहायक आयुक्त को नोडल अधिकारी के रूप में नामित कर सकते हैं।  
केउडर कन्ट्रोल अथॉरिटी, कार्यालय एवं परीक्षा के लिए नामित नोडल अधिकारी का विवरण एवं वांछित संख्या में प्रश्न पत्रों के लिए मांग (अनुलग्नक- II के रूप में संलग्न एक्सेल (.xlsx) प्रारूप में) को ईमेल आई.डी. nacin.lucknow@gov.in\_\_अथवा nacinzk@gmail.com पर भेजा जा सकता है। जात हो कि उपरोक्त विवरण केवल उक्त दिए गए दो ई-मेल आई.डी. पर भेजा जा सकता है; उपरोक्त के अलावा अन्य किसी ई-मेल आई.डी. पर भेजा गया विवरण मान्य नहीं होगा।

3. यह सूचना, सहायक निदेशक (परीक्षा), नासिन, जोनल कैम्पस, लखनऊ को **30.01.2026** तक अवश्य पहुंच जानी चाहिए। कृपया ध्यान दें कि **30.01.2026** के बाद प्राप्त सूचना/मांग पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. उक्त परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र-**I** (केंद्रीय उत्पाद शुल्क और माल एवं सेवा कर) पासवर्ड संरक्षित (.pdf) प्रारूप में नामित नोडल अधिकारी को केवल ई-मेल के माध्यम से दिनांक **10.02.2026** को भेजा जायेगा। प्राप्त ई-मेल की पावती, संदर्भित ई-मेल में दिए गए गूगल फॉर्म के लिंक के माध्यम से तत्काल भेजा जाना अपेक्षित है। .pdf फाइल खोलने के लिए पासवर्ड परीक्षा के निर्धारित समय से **40 मिनट** पहले नोडल अधिकारी को उनकी ईमेल आई.डी. पर प्रदान किया जाएगा। शेष सभी प्रश्नपत्र (.pdf)

पासवर्ड सहित परीक्षा की निर्धारित तिथि और समय से **40 मिनट पहले भेजे जाएंगे**। प्राधिकृत अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित की जाए।

5. यह नोटिस **CBIC** और **NACIN** की वेबसाइट [www.cbic.gov.in](http://www.cbic.gov.in) और [www.nacin.gov.in](http://www.nacin.gov.in) पर भी पोस्ट की जाती है।
6. विभागीय परीक्षा (केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं स्वापक) नियम, **2024** [जी.एस.आर. 773(अ) दिनांक 18.12.2024] में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार नियंत्रित की जाएगी अतः हिंदी की परीक्षा में सम्मिलित होने अथवा न होने से सम्बंधित निर्णय, संबंधित क्षेत्राधिकार वाले आयुक्तालयों/निदेशालय के द्वारा लिया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में नासिन, जोनल कैपस, लखनऊ द्वारा किसी प्रकार का कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
7. श्रेणी-वार (आरक्षित एवं/अथवा गैर-आरक्षित) के उत्तीर्णीक एवं पुरीक्षा में बैठने की पात्रता से संबंधित निर्णय हेतु भी कोई प्रत्यावेदन नासिन, जोनल कैपस, लखनऊ द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा क्योंकि ये निर्णय लेने का अधिकार भी संबंधित क्षेत्राधिकार आयुक्तालयों/निदेशालयों के पास ही है।
8. 'परीक्षा के लिए निर्देश' इस पत्र के साथ अनुलग्नक-III के रूप में संलग्न हैं और इसका अभिन्न अंग है। इस संबंध में किसी भी सूचना के लिए कोई हार्डकॉपी नहीं भेजी जाएगी।
9. किसी भी कठिनाई के स्थिति में, ईमेल nacin.lucknow@gov.in अथवा nacinzk@gmail.com पर अथवा आवश्यक होने पर श्री राजीव पाण्डेय, सहायक निदेशक (मो. नं. 9415183121) एवं श्री मधुप कुमार गुप्ता, अपर सहायक निदेशक (मो. नं. 9838829381) से संपर्क किया जा सकता है।

भवदीय,

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

(वी. पी. शुक्ला)  
प्रधान अपर महानिदेशक